–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 69 / 2010

उनवान

1. संतोष पत्नी सुगना (मृतक जरियें वारिसान)
1/1. हरिराम पुत्र सुगना
1/2. लाली पुत्री सुगना
1/3. बसराम पुत्र सुगना जाति जाट नि0 ग्राम तिहारी नसीराबाद

–– वादिया :– जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुगनी पत्नी हरकरण पुत्री दल्ला (मृतक)
2. पुतर पुत्री धूकल
3. शैतान पुत्र नाथू
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
5. किशनलाल पुत्र नाथू
6. भंवरलाल पुत्र देवा
7. किशना पत्नी मिश्री
8. सुरज पुत्र मिश्री
9. सोहनी पत्नी सुवा
10. रामस्वरूप पुत्र सुवा
11. सत्यनारायण पुत्र सुवा
12. रामराज पुत्र भंवरलाल
13. श्योराज पुत्र भंवरलाल
14. छोटू पुत्र हजारी
15. मांगू पुत्र गणेश
16. सोदान पुत्र गणेश
17. हरिराम पुत्र सुगना
18. बसराम पुत्र सुगना
19. सन्तोष पुत्र सुगना
20. राधाकिशन पुत्र नारायण
21. रामकिशन पुत्र नारायण
22. रामस्वरूप पुत्र हरि
23. रामेश्वर पुत्र हरि
24. सांवरा पुत्र चतारा
25. परसाराम पुत्र चतरा
26. चन्द्रा पुत्र धूकल जाति जाट नि. तिहारी नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 3 व 5 से 26 अनुपस्थित
4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व धारा 136 भू0 राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.10.18

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुयी है कि वाद में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर वादिया को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रदान करे व इस बात की जॉच की जावे कि जब विवादित भूमि क्रय करने के बाद वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी थी तो बंदोबस्त विभाग द्वारा किस आधार पर हाल खसरा नम्बर पुनः विक्रेता धूकल के नाम दर्ज किये गये।'

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी के खाता स0 222/225 किता 27 रकबा 53–13–00 की आराजी के 4 हिस्से का बैचान मूल खातेदार धूकल पि. दल्ला ने प्रतिवादी 1 को कर दिया था। जिसके पश्चात उक्त आराजी प्रतिवादी 1 ने वादिया को विक्रय का दी। उक्त विक्रय पत्र की पालना में वादिया के नाम राजस्व अभिलेख में नामा0 दर्ज कर दिया गया।

इसी प्रकार ग्राम तिहारी के खाता स0 560/553 किता 23 रकबा 32–09–10 की आराजी का 1/11 हिस्सा वादिया ने मूल खातेदार धूकल पि. दल्ला से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। तथा वादिया के नाम उक्त आराजी दर्ज कर दी गयी थी।

उक्त आराजी के हाल ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83), 3987 (0.21) व 3992 (0.10) की आराजी गलत रूप से वादिया के नाम दर्ज नही कर मूल खातेदार धूकल पि. दल्ला के नाम दर्ज कर दी। अतः उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज दुरूस्त कर हाल ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83) का खातेदार वादिया को घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

वादिया द्वारा प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर नवीन पक्षकार मुर्तिब किये गये।

प्रतिवादी 1 से 3 व 5 से 26 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादिया अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में नवीन साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया बहस सुनी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादिया व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादिया ने वादग्रस्त आराजी में से धूकल पि. दल्ला का 4 हिस्सा व 1/11 हिस्सा क्रय किया है। जिसका अंकन वंर्किग जमाबंदी में हो चुका है। पूर्व अभिलेख में उक्त आराजी विक्रेता व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी में दर्ज थी। हाल राजस्व अभिलेख में क्रय शुदा आराजी को अलग–अलग खातों में अलग–अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया। वादी ने वर्किग जमाबंदी के सभी सह खातेदारो को रिमाण्ड होने के बाद पक्षकार बनाया है। उनके द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर वाद के तथ्यों का खण्डन नही किया है। वर्तमान इन्द्राज बिना किसी नामा. अथवा आदेश के दर्ज हुआ है जो विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। वादी कयशुदा आराजी के हाल ख0न0 में से ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83) के पूर्ण रकबे का अनुतोष चाहता है जबकि उसे द्वारा उकत ख0न0 का आंशिक हिस्सा ही क्रय किया गया था। ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83) के शेष हिस्से पर वंर्किग जमाबंदी अनुसार अन्य सह खातेदारों का हित प्रभावित होता है जो प्रकरण में पक्षकार है किन्तु अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा क्रय की गयी आराजी बिना किसी आदेश अलग–अलग खातों में दर्ज हो गयी है। वादी ने जरियें विक्रय पत्र समस्त ख0न0 में से हिस्सा क्रय किया था। किन्तु हाल जमाबंदी में सभी खसरे अलग–अलग खातें में दर्ज होने के कारण व वादी का कब्जा खसरा नम्बर 3603 (0.38), 2939 (0.83) पर ही होने के कारण उसके द्वारा उक्त खसरा नम्बरो पर अनुतोष चाहा है। माानीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर के निर्णय में भी इस बात की जॉच के लिये निर्देश दिये गये है कि जब विवादित भूमि क्रय करने के बाद वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी थी तो बंदोबस्त विभाग द्वारा किस आधार पर हाल खसरा नम्बर पुनः विक्रेता धूकल के नाम दर्ज किये गये। प्रस्तुत वाद में राज0 पैरोकार अथवा अन्य हितबद्व व्यक्तियों द्वारा ऐसा कोई आदेश, नामान्तरकरण पेश नही किया है जिसके आधार पर पूर्व इन्द्राज परिवर्तित किया गया हो। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। वादी अपना वाद सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः ग्राम तिहारी के हाल ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83) पर वादिया का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादिया को उक्त आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सन्तोष वनाम सुगनी वगै0

दावा बाबत :– 88, 188, राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि.1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 69/10
पेश करने की दिनांक – 5.6.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल ख.न. 3603 (0.38), 2939 (0.83) पर वादिया का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादिया को उक्त आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

वअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २२ माह 10 सन् 2018 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner